

पत्रा. लोक अदालत सेवा से पेश हुई।  
वादी स्वयं उपस्थित। वादी ने प्रार्थना पत्र एवं

राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि प्रारूपिक  
ट्रिबुनल के कारण वह नया दावा पेश करने की  
अनुमति के साथ दावा विद्वा करना चाहता है।

वाद वादी नया दावा पेश करने की  
अनुमति के साथ विद्वावल के आध्या पर  
खारिज किया जा रहा है। वादी को असल हस्तोकेज  
लौटाने जावे। फर्चा डिक्ली जारी किया जावे। पत्रा.  
दस्तावेज शुमा होकर नया से कर दो स्वै वाद वकील  
जना जिला अदालत खाना हो।

नि. मिश्रा

(10)

अध्यक्ष

लोक अदालत

सहायक जिला सेक्टर एवं

कार्यपालक मजिस्ट्रेट

गंगापर सिटी